

No. 2-4/DSW/TENDER/RATION,VEG-NON VEG/16-17/1289

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

Andaman & Nicobar Administration

समाज कल्याण निदेशालय

Directorate of Social Welfare



Port Blair, dated the 17th April, 2018.

RE-TENDER

Sealed tender are invited from bonafide suppliers/ contractor for supply of Fruits items for the use of the inmates of various homes under Port Blair Tehsil and Ferrergunj Tehsil for a period of one year from the date of award of work order on the following terms and conditions. The tender form is available on Administration's website www.and.nic.in and can be downloaded by the interested tenderer. The rates of the following item should be quoted per kg as specified against each item.

Port Blair Tehsil :- (Balika Niketan, Anganwadi Training Centre at Attam Pahad, Swadhar Greh, Dollygunj, One Stop Centre, Arunodaya Centre and Delinquent Home, Nayagaon) under this Directorate.

Details of items :-

S. No.	Name of Items	Rate	
1.	Fruits:-	Per Kg	
2.	Banana	Per Kg	
3.	Orange	Per Kg	
4.	Pineapple	Per Kg	
5.	Mango	Per Kg	

Ferrergunj Tehsil :- (Disable Home, Old Age Home and Children Home at Abhudhay Complex) under the Directorate of Social Welfare.

Details of Items :-

S. No.	Name of Items	Rate	
	Fruits:-	Per Kg	
1.	Orange	Per Kg	
2.	Pineapple	Per Kg	
3.	Mango	Per Kg	

Terms and Conditions:-

1. The quotation should be submitted in separate sealed cover superscribed "Quotation for supply of Fruits items" for various Homes situated under Port Blair and for Ferrergunj Tehsil for a period of one year.
2. Quotation received after due date and time and without EMD shall not be accepted.
3. Supplier has to compete for all the fruit items separately and the rate should be as per prevailing market rate.
4. Cutting/overwriting should be avoided. Any kind of fluiding on the body of the quotation is liable to be rejected.
5. The quality of fruit items should be as per specification, fresh, hygienic and of good quality and supply of the items should be made by the tenderers at the gate of the above mentioned Homes situated under Port Blair Tehsil and Ferrergunj Tehsil.

6. The quotation should be accompanied with EMD of the for Rs.2500/- (Rupees Two thousand five hundred only) separately for both Tehsil the shape of call deposit drawn at State Bank of India or any nationalized Bank of India in favour of Director of Social Welfare.
7. The tender indicating per unit (in figure) as well as in words should reach to this office on or before 08-05-2018 at 3.00 P.M and same shall be opened in the same day by the Purchase Committee at 3.30 P.M in the presence of tenderer or his representatives if any.
8. Two different rates for the items should not be quoted. In case if any questioner quoting two different rates his quotation is liable for rejection.
9. The Rate should be inclusive of all taxes/charges alongwith GST.
10. In case the tenderer fails to supply the articles within the time limit, Liquidity damages (LD) of 0.5% on the amount of supply order per week will be levied up to a max. of 10% of supply order. Further security deposit will be forfeited to the Govt. Account and the contract will be given to the next bidder without any further notice/intimation.
11. Documentary proof of experience/ work completion certificate of at least two (02) years for supply of items mentioned in the tender to any Govt.Dept./Govt.organization.
12. The successful bidder will have to enter into an agreement with the department for successful execution of the contract.
13. The tenderer should submit their valid license under PFA act duly received from the competent authority along with the tender, if not enclosed the quotation is liable to be rejected.
14. The rate should be valid for one year from the date of award of work order.
15. The undersigned reserves the right to reject or accept any tender/ Quotation in part or full without assigning any reason thereof.

Assistant Director (Admn)
Directorate of Social Welfare

Copy to:

1. The Notice Board of Directorate of Social Welfare.
2. The In-Charges of various Homes under this Directorate.

Assistant Director (Admn)

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
समाज कल्याण निदेशालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 17 अप्रैल, 2018.

पुनः टेंडर नोटिस

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गृहों के लिए, फल की आपूर्ति के लिए मोहरबंद निविदा वास्तविक आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार से आमंत्रित की जाती हैं, जो दरों की स्वीकार होने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए लागू होगा, तथा निम्नलिखित नियम व शर्तें पर होनी चाहिए। टेंडर कर्ता टेंडर फार्म को प्रशासन के वेबसाइट www.and.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सामग्रीयों की दरे प्रति किलो, होनी चाहिए।

पोर्ट ब्लेयर तेहसिल :-

जैसे.बालिका निकेतन, आगनवाडी सेंटर, आटम पहाड, पोर्ट ब्लेयर, अपराधी किशोर गृह, नयागाँव, किशोर गृह, व स्वधार गृह, डौलीगंज तथा वन स्टोप सेन्टर, अरुणोधय सेन्टर, जंगलीधाट।

क्रमांक	समग्रीयों	प्रति	दरें
	फल:-		
1.	केला	प्रति किलो	
2.	नारंगी	प्रति किलो	
3.	अनारस	प्रति किलो	
4.	आम	प्रति किलो	

फरारगंज तेहसिल :-

किशोर गृह, वृद्धा गृह तथा विकलांग गृह, अबंदया कोमपलैक्स, फरारगंज

क्रमांक	समग्रीयों	प्रति	दरें
	फल:-		
1.	नारंगी	प्रति किलो	
2.	अनारस	प्रति किलो	
3.	आम	प्रति किलो	

नियम व शर्तें :-

- कोटेशन में “दिनांक एक साल की अवधि के लिए फलों की आपूर्ति पोर्ट ब्लेयर तेहसिल तथा फरारगंज तेहसिल हेतु कोटेशन” अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में जमा करना होगा।
- निर्धारित समय तथा दिनांक के बाद आए कोटेशन तथा बिना ई.एम.डी के कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ठेकेदारों को दोनों कोटेशनों के लिए अलग से तथा सारी सामग्रीयों के दर पर कंपीट करना होगा।
- कोटेशन में कटिंग/ओवरराइटिंग तथा फलूईड का प्रयोग करने पर कोटेशन को अस्वीकृत किया जा सकता है।
- सभी खाद्य पदार्थ स्पेसीफिकेशन के मुताबिक व ताज़ी, साफ सुथरी तथा अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। सभी वस्तुएं ठेकेदार द्वारा बालिका निकेतन, आगनवाडी सेंटर, आटम पहाड, डौलीगंज, पोर्टब्लेयर, अपराधी किशोर गृह, नयागाँव किशोर गृह, आटम पहाड तथा व स्वधार गृह, डौलीगंज तथा वन स्टोप सेन्टर, अरुणोधय सेन्टर तथा तथा किशोर गृह, वृद्धा गृह तथा विकलांग गृह फरारगंज तक पहुँचना होगा। यदि कोई खाद्य पदार्थ खराब पाया गया तो उसे ठेकेदार को वापस ले जाना होगा और उसे बदल कर ताज़ा पदार्थ देना होगा।

6. बयाना धन राशि रु 2,500/- कोटेशन के साथ संलग्न करें। यदि सप्लायकर्ता कभी सामाग्री दैनिक के हिसाब से सप्लाय नहीं कर पाता है उसके बयाना धन राशि से काट दिया जाएगा ।
7. निविदा प्रत्येक ईकाई की दरों के साथ शब्दों में लिखा होना चाहिए जो कि समाज कल्याण निदेशालय में दिनांक 08/05/2018 को सायं 3.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। जिसे उपस्थित ठेकेदारों या उनके अनुयायी यदि कोई हो के सामने उसी दिन सायं 3.30 बजे खोला जाएगा ।
8. एक सामग्री के लिए दो अलग-अलग दर का उल्लेख न करें । यदि कोई कोटेशनकर्ता दो अलग-अलग दरों का उल्लेख करता है तो उसके कोटेशन को अस्वीकार किया जा सकता है।
9. सामाग्रीयो की दरें अंतिम तथा सभी करो अन्य चार्जस एवं जी.एस.टी सहित होनी चाहिए।
10. यदि टेंडरदाता समय पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो एल.डी 0.5 % प्रत्येक सप्लाय आदेश की राशी पर प्रति सप्ताह लेविड/महसूल की जाएगी अधिकतम 10%, तक प्रति सप्लाय आदेश तथा उनके ठेके को तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा और जमानत जमा राशि को सरकारी खाते में जब्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें सूचना दिए बिना उनके ठेके को अगले बोलीदाता को दे दिया जाएगा।
11. अनुभव का कागजी प्रमाण किसी सरकारी विभाग/सरकारी संगठन में कम से कम दो (02) वर्ष का सेवा प्रदान करने का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
12. सफल बोलीदाता को अनुबंध के क्रियान्वयन के लिए विभाग के साथ एक समझौते में प्रवेश करना होगा।
13. ठेकेदार को अपनी दुकान की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त विधिमान्य लाइसेंस निविदा के साथ जमा करना होगा ।
14. उपरोक्त दर एक साल की अवधि आपूर्ति आदेश के जारी होने के दिनांक से लागु होगा।
15. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/कोटेशन को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार सुरक्षित है।

सहायक निदेशक (प्र०)

प्रति लिपि:—

1. नोटिस बोर्ड।
2. प्रभारी, होम्स, समाज कल्याण निदेशालय को सूचनार्थ।

सहायक निदेशक (प्र०)

